

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

दिनांक :: लखनऊ 26 अप्रैल, 2013.

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न लेखा/उप लेखाशीर्षको, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/सह0न्याय0, दिनांक 09-4-2013 के संदर्भ में तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640 /दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013, के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के लेखा शीर्षक '2425-सहकारिता-04-उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायधिकरण का गठन मद की धनराशि रू0 80.79 लाख (रूपये अस्सी लाख उन्चासी हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-3-2013 में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृति धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाये। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगजनों के भरण-पोषण हेतु सहायता को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण चार त्रैमासिक किशतों में किया जायेगा।

.....2/

08/कले
26/4/13

(4) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/विज्ञप्ति धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या बी-1-1307/दस-2006-247/06, दिनांक 28-3-2006 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त-नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें।

(7) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनाये वित्त नियंत्रक /लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(8) बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की प्रक्रिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये।

(9) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत कियेगये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक "2425- सहकारिता -04 उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायधिकरण का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013, में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

उप सचिव।

संख्या-572(1)/49-3-2013-तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2- आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियों उ0प्र0 लखनऊ ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- वेब मास्टर, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(इन्द्रदेव पटेल)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 572/49-3-13-10/2013 का संलग्नक दिनांक
: अप्रैल, 2013


अनुदान संख्या-18

कृषि एवं सम्बद्ध विभाग-सहकारिता
प्राविधानित बजट का विवरण - वर्ष 2013-14

धनराशि (हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	2013-14 आयोजनेत्तर
1	3
2425-सहकारिता	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
04-उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन	
01-वेतन	3351
03-मैहगाई भत्ता	2781
04-यात्रा-व्यय	6
06-अन्य भत्ते	443
08-कार्यालय व्यय	50
09-विद्युत देय	20
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	21
12-कार्यालय फर्नीचर एवम उपकरण	53
13-टेलीफोन पर व्यय	40
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	700
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	100
17-किराया-उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	293
45-अवकाश यात्रा-व्यय	25
46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40
49-चिकित्सा व्यय	100
51-वर्दी-व्यय	6
योग- 04 मतदेय :	8079

शब्दों में योग:-आयोजनेत्तर राजस्व मतदेय (रूपये अस्सी लाख उन्यासी हजार मात्र)


(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।